

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)
प्रपत्र XI

(अधिनियम-30/2013 की तृतीय अनुसूची तथा नियम 30(2) देखें)


भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के लिए मौजा-नैयाडीह, थाना-404, रकवा-19.62 एकड़, भूमि अर्जित की गयी है। विस्थापितों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के अधीन प्रस्तावित आधारभूत संरचनात्मक साधन-सुविधाओं के उपबंध का प्रारूप।

क्र० सं०	संघटक	आधारभूत संरचनात्मक/साधन-सुविधाओं का विवरण
1	2	3
1	सड़क	पी०सी०सी० सड़क निर्माण का प्रावधान है।
2	जल निकास	पक्की नाली का प्रावधान है।
3	पेयजल	डीप बोरिंग का प्रावधान है।
4	पशु के लिए पेयजल	तालाब निर्माण करने का प्रावधान है।
5	चारागाह के लिए भूमि	सटे हुए गांव ठाढ़ी दुलमपुर में चारागाह उपलब्ध है।
6	उचित मूल्य की दुकान	नैयाडीह से संलग्न गांव चितोलौढ़िया में उचित मूल्य की दुकान है।
7	पंचायत घर	नैयाडीह के पंचायत मुख्यालय संग्रामलोढ़िया में पंचायत भवन उपलब्ध है।
8	डाक घर	नैयाडीह से 02 कि०मी० दूरी देवसंग में डाक घर है।
9	खाद भंडार	-
10	सिंचाई सुविधाएं	तालाब निर्माण करने का प्रावधान है।
11	परिवहन सुविधाएं	3 पाहिया एवं 4 पाहिया वाहन से परिवहन की सुविधा है।
12	कब्रगाह और श्मशान घाट	नैयाडीह से 03 कि०मी० दूरी पर दुर्गापुर गांव में कब्रगाह है तथा 04 कि०मी० की दूरी पर चौरडीहा में श्मशान घाट उपलब्ध है।
13	शौच घर	प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग शौचालय का प्रावधान है।
14	विद्युत सम्बद्धता	विद्युत सम्बद्धता का प्रावधान है।

15	पोषण सेवा	-
16	विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान है।
17	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नैयाडीह से सटे गांव चितोलोढ़िया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।
18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	-
19	क्रीड़ा स्थल	नैयाडीह से सटे गांव में क्रीड़ा स्थल है।
20	सामुदायिक भवन	सामुदायिक भवन बनाने का प्रावधान है।
21	उपासना स्थल	नैयाडीह से सटे गांव चितोलोढ़िया में उपासना (दुर्गा मंदिर एवं बजरंग बली मंदिर) उपलब्ध है।
22	जनजाति संस्था के लिए पृथक भूमि	-
23	इमारती वन उत्पाद	-
24	सुरक्षा प्रबंधन	कुण्डा, देवघर में थाना उपलब्ध है।
25	पशु चिकित्सा	देवघर में पशु चिकित्सा उपलब्ध है।
26	अन्य अवयव यदि हो	


19-01-2017

प्रशासक-सह- अपर समाहर्ता,
देवघर।


19/1/17

समाहर्ता,
देवघर



आयुक्त
आर. एण्ड आर.